85

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 7-35/1997/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 27/05/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संबंध में ।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 12.11.1997

***

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है । आरक्षित वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ध्यान मे लाया गया है कि उक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं हो पा रहा है तथा पुनः सभी संबंधित को इन निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है ।

2/ अतः इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 12.11.1997 की प्रति संलग्न कर लेख है, कि उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए । यदि इन आदेशों के उल्लंघन के मामले शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आते है तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

(के0 सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

// 2 //

पृ. क्रमांक एफ 7-35/1997/आप्र/एक भोपाल,दिनांक 27/05/2014

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल;
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल;
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल;
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल;
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर;
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल;
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल;
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर;
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल;
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल;
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर;
12. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल;
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-अरेरा हिल्स, भोपाल;
14. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पूजा गुप्ता, हैदराबाद-50082
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल;
16. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल;
17. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल;
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग;
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल;

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर0के0 गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.७-३५/९७/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 12/11/, १९९७

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषय- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संबंध में।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि इन वर्गों के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके।

इन वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में उदारता एवं सद्भावनापूर्वक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। सेवा के मामलों में इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों की गलतियां किए जाने पर भी सर्वप्रथम समझाइश दी जाकर उनकी कार्यपद्धति में सुधार लाए जाने के प्रयास किए जाएं। तत्पश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणियां कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरान्त की जाए।

शासन द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर बार-बार स्थानान्तरित नहीं किया जाए तथा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना करते समय उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार भेदभावपूर्ण कृत्य/व्यवहार किसी भी हालत में न हो।

यदि इन आदेशों के उल्लंघन के मामले शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(के.एस. शर्मा)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. ७-३५/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर १९९७

प्रतिलिपि-

१. निबंधक उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर,

२. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश, राज भवन, भोपाल,
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,

२. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक,

४. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग,

५. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय,

६. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जी०एल०भटिवार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
[illegible] विभाग